दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 3502/2022 और सि.वि.आ. 10324/2022

वि.प्र. सुश्री गायत्री शाह के माध्यम
से राजीव शाह (मृतक) .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राजेश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री रुचिरा वी. अरोड़ा, अधिवक्ता (मो.:9810322797)

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुपम श्रीवास्तव, जीएनसीटीडी के अति.स्था.अधि. के साथ श्री धैर्य गुप्ता, सुश्री सरिता पांडे, श्री वासुह मिश्रा, श्री उज्जवल मल्होत्रा, प्र.-1 और 2 के अधिवक्तागण (मो: 9811128170)

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्कर्ण

<u>निर्णय</u>

10.04.2023

<u>न्या., मिनी पुष्करना</u>

1. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील देते हुए दायर की गई है कि अपील सं. 70/2010 *जीएस रजोकरी बनाम राजीव शाह (मृतक) वि.प्र. के माध्यम से* में कार्यवाही जो प्रत्यर्थी सं. 2 गाँव सभा, रजोकरी द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (डीएलआर अधिनियम) की धारा 185 के तहत दायर की गई है जो विद्वान उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम)/राजस्व सहायक (आरए) द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 26.05.2010 के विरुद्ध है को ग्राम रजोकरी जहां विचाराधीन भूमि स्थित है को शहरी विस्तार में कम घनत्व आवासीय क्षेत्र (एलडीआरए) के रूप में घोषित किए जाने के कारण जारी नहीं रखा जा सकता है।

2. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 3 की भूमि के संबंध में डीएलआर अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी जिसमे खसरा सं. 549/1 मिन (0-9), 548 मिन (0-3/2), 553 मिन (3-0) और 558/1 मिन (0-12), ग्राम रजोकरी, तहसील वसंत विहार, नई दिल्ली में स्थित है। कार्यवाही दिनांक 02.01.2009 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी जिसमें बताया गया था कि एक चारदीवारी खड़ी की जा रही है और भारी मात्रा में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। इस प्रकार, दिनांक 23.01.2009 को विद्वान एसडीएम/आरए द्वारा याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री राजीव शाह और प्रत्यर्थी सं. 3 को नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया है कि

कृषि भूमि का उपयोग चारदीवारी के निर्माण के माध्यम से गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

3. इसके बाद, स्वर्गीय श्री राजीव शाह द्वारा दायर दिनांक 17.05.2010 के उत्तर के आधार पर विद्वान एसडीएम/आरए ने डीएलआर अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्यवाही रद्ध कर दी। डीएलआर अधिनियम की धारा 185 के तहत एक अपील के साथ-साथ अपील दायर करने में हुए विलंब की माफ़ी हेतु एक आवेदन प्रत्यर्थी सं. 2-गांव सभा द्वारा दिनांक 13.10.2010 को विद्वान उपायुक्त, दक्षिण पश्चिम, कापसहेड़ा, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई थी जिसे बाद में अतिरिक्त उप मजिस्ट्रेट (एडीएम), जाम नगर हाउस, नई दिल्ली की न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

4. अपील के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद, अपनी मां की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में दिनांक 09.08.2016 की वसीयत के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रतिस्थापन हेतु एक आवेदन दायर किया जिसे विद्वान उपायुक्त ने दिनांक 09.11.2017 के आदेश द्वारा अनुमति दे दी।

5. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विद्वान एडीएम, नई दिल्ली के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर अपील की लंबन को चुनौती दी है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से, यह दलील दी गयी है कि विद्वान एडीएम के समक्ष अपील में लंबित कार्यवाही क्षेत्राधिकार के अभाव में कानून की दृष्टि से सही नही है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (डी.डी.अधिनियम) की धारा 11क की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली डिवीजन) द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी 2021) में संशोधन करते हुए दिनांक 18.06.2013 को जारी अधिसूचना के बाद विचाराधीन भूमि पर डीएलआर अधिनियम लागू नहीं होता है। उक्त अधिसूचना के अनुसार यह प्रस्तुत किया गया है कि मौजूदा फार्म हाउस क्लस्टर वाले गांवों को एलडीआरए के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसमें ग्राम रजोकरी भी शामिल है। उक्त अधिसूचना के आलोक में ग्राम रजोकरी शहरी ग्राम बन गया है। याचिकाकर्ता की भूमि का भू-उपयोग आवासीय हो गया है और अब यह कृषि भूमि नहीं रही।

7. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई सशर्त आदेश है और न ही कोई निष्कासन आदेश है, बल्कि कार्यवाही विद्वान एसडीएम द्वारा रद्ध कर दी गई थी। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि डीएलआर अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्यवाही अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है और बेदखली एवं निहितार्थ के आदेश नहीं दिए गए हैं याचिकाकर्ता का मामला “मामला 2” में आएगा जैसा

कि ***सांविक इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य*** मामले में वर्णित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त) में वर्णित "[2]मामला 2" उन मामलों से संबंधित है जहां कार्यवाही केवल शुरुआत के चरण तक पहुंच गई है या केवल एक सशर्त आदेश पारित किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इन कार्यवाही को जारी रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा।

8. उसकी प्रस्तुतियों के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***वि.प्र. के माध्यम से मौहिंदर सिंह (मृतक) व अन्य बनाम नारायण सिंह व अन्य*** के मामले पर भरोसा किया गया है। उक्त निर्णय पर भरोसा करके यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार भूमि का शहरीकरण हो जाने के बाद डीएलआर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और परिणामस्वरूप, डीएलआर अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही शून्य हो जाती है और अपना विधिक महत्व खो देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डीएलआर अधिनियम के तहत कार्यवाही में मूल के साथ-साथ अपीलीय कार्यवाही भी शामिल होगी। इस प्रकार, यह दलील दी जाती है कि विद्वान एडीएम के समक्ष लंबित अपील को हटा दिया जाना चाहिए।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामला "मामला 4" के अंतर्गत आता है जैसा कि सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त) के मामले में वर्णित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय

का "मामला 4" उस स्थिति से संबंधित है जहां भूस्वामी या गांव सभा के आदेश पर अंतिम आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन के लंबित रहने के दौरान शहरीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है। उक्त निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 81 के तहत पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने या लंबित रखने का अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं होगा क्योंकि भूमि शहरीकृत हो गई है। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से यह दलील दी गयी है कि अपील विद्वान एडीएम के समक्ष जारी रहेगी, हालांकि, अपीलार्थी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा गांव सभा को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. अपनी दलीलों के समर्थन में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ***जीवाश्रम बनाम रा.रा.क्षे दिल्ली व अन्य*** के मामले में दिए निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए यह दलील दी गई है कि एक अपील जो संबंधित क्षेत्र के शहरीकरण के समय लंबित है जारी रहेगी।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

12. वर्तमान मामले में, धारा 81 डीएलआर अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाहियों को विद्वान एसडीएम/आरए द्वारा दिनांक 26.05.2010 के निर्णय/आदेश द्वारा रद्ध कर दिया गया था। उक्त निर्णय को प्रत्यर्थी सं. 2 गाँव सभा, रजोकरी में दिनांक 13.10.2010 को विद्वान उपायुक्त/कलेक्टर

(दक्षिण-पश्चिम), कापसहेड़ा के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसे उसके बाद विद्वान एडीएम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, अधिसूचना दिनांक 18.06.2013 द्वारा ग्राम रजोकरी, जहां विचाराधीन भूमि स्थित है, को शहरी विस्तार में कम घनत्व आवासीय क्षेत्र (एलडीआरए) घोषित किया गया था। उपरोक्त अपील अभी भी विद्वान एडीएम के समक्ष लंबित है जिसका लम्बन इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है।

13. यह अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है कि एक बार जब किसी क्षेत्र को एलडीआरए घोषित कर दिया जाता है तो वह ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह जाता है और शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली डिवीजन) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.06.2013 के माध्यम से विचाराधीन क्षेत्र अर्थात् ग्राम रजोकरी को एलडीआरए घोषित किया गया था। इस प्रकार, क्षेत्र को एलडीआरए के रूप में घोषित करने के बाद भूमि को अब कृषि उद्देश्यों के प्रयोग हेतु नहीं माना जा सकता है। डीएलआर अधिनियम का उद्देश्य भूमि के कृषि उपयोग की रक्षा करना है। हालाँकि, जब किसी क्षेत्र को कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है तो भूमि के गैर-कृषि उपयोग को मास्टर प्लान द्वारा ही मान्यता दी जाती है।

14. डीडी अधिनियम की धारा 11क के तहत एमपीडी, 2021 में संशोधन के बाद अधिसूचना दिनांक 18.06.2013 के माध्यम से इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांव रजोकरी एक "शहरी गांव" है। इस न्यायालय ने ***मैसर्स श्री नीलपद्मया***

कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम श्री सत्यबीर उर्फ़ सतबीर व अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि शहरीकरण के लिए अधिसूचना केवल दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (डीएमसी अधिनियम) की धारा 507 के तहत अधिसूचना के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार डीडीए द्वारा जारी क्षेत्रीय योजना के तहत निर्धारित की गई विषयगत भूमि को दिखाते हुए मास्टर प्लान के अनुसार जारी किए गए क्षेत्रीय योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी की जाती है ऐसी स्थिति में भूमि डीएलआर के तहत निर्धारित की गई भूमि नहीं रह जाती है चूँकि अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के परिणामस्वरूप भूमियाँ दिल्ली भूमि का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार, इसे अभिनिर्धारित किया गया: -

> *"**20.** एक और दृष्टिकोण है जिससे इस विवाद पर विचार और निर्णय लिया जा सकता है। यह अधिनियम की धारा 3(13) के संदर्भ में है जो उस भूमि को परिभाषित करता है जो अधिनियम की विषय वस्तु है। अधिनियम की धारा 3(13) में निहित 'भूमि' की परिभाषा के अलावा, मुझे 'दिल्ली शहर' और 'नई दिल्ली शहर' की परिभाषा का भी उल्लेख करना होगा जो* उसी धारा *3* की *उप-धारा (5) और (15)* में दिया गया है| *अधिनियम की धारा 1 का भी संदर्भ लेना होगा जो अधिनियम के संचालन के दायरे को प्रदान करती है। अधिनियम की ये धाराएं 1, 3(5), 3(13) और 3(15) इस प्रकार हैं : -*

"धारा 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ|- (1) *इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 है।*

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक है, लेकिन यह लागू नहीं होगा-

(क). [वे क्षेत्र जो नवंबर, 1956 के पहले दिन से पहले हैं या हो सकते हैं] पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के प्रावधानों के तहत एक नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र में शामिल हैं, या छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत एक छावनी में शामिल हैं।

(ख) [क्षेत्र] केंद्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति में शामिल हैं, और

(ग) सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए धारित और कब्ज़ा किया गया क्षेत्र और मुख्य आयुक्त द्वारा घोषित या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अर्जित किया गया क्षेत्र। 1894, या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित इस अधिनियम के अलावा कोई अन्य अधिनियम।

(3) यह तुरंत लागू हो जाएगा।

(4) उप-धारा (2) के खंड (ग) के तहत मुख्य आयुक्त की घोषणा इस बात का निर्णायक सबूत होगी कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य हेतु रखी और कब्जा की गई है।

धारा 3(5) *["दिल्ली शहर" का अर्थ है वे क्षेत्र जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना से ठीक पहले नगर निगम दिल्ली, सिविल*

स्टेशन अधिसूचित क्षेत्र, पश्चिमी दिल्ली नगर पालिका और किला अधिसूचित क्षेत्र की सीमा में शामिल थे);]

धारा 3(13) *धारा 23 और 24 को छोड़कर "भूमि" का अर्थ है मछली पालन और मुर्गी पालन सहित कृषि, बागवानी या पशुपालन से जुड़े उद्देश्यों के लिए रखी गई या कब्जा की गई भूमि और इसमें शामिल है-*

(क) उससे जुड़ी इमारतें,

(ख) गाँव की आबादी,

(ग) उपवन-भूमि,

(घ) गांव के चरागाह हेतु भूमि या पानी से घिरी भूमि और सिंघाड़े एवं अन्य उपज उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि या नदी के किनारे की भूमि और आकस्मिक या यदाकदा खेती हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि, लेकिन इसमें दिल्ली शहर से सटे इलाकों के क्षेत्र में इमारतों द्वारा कब्जा की गई भूमि शामिल नहीं है और नई दिल्ली शहर, जिसे मुख्य आयुक्त आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अधिग्रहण घोषित करता है;

धारा 3(15) *"नई दिल्ली शहर" का अर्थ नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी की सीमा में शामिल क्षेत्र है।"*

21. *अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (13) के बाद के अंश के पठन से पता चलता है कि जो भूमि अधिनियम की विषय वस्तु है वह अब अधिनियम की विषय वस्तु नहीं होगी यदि आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है राजपत्र में कहा गया है कि वह भूमि जो अधिनियम की विषय वस्तु थी दिल्ली शहर और नई दिल्ली शहर के लिए एक अधिग्रहण है। दिल्ली शहर*

और नई दिल्ली शहर की परिभाषाओं से पता चलता है कि वे क्षेत्र जो नगर पालिका या छावनी क्षेत्र या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र आदि में शामिल हैं, उन्हें अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, जो क्षेत्र नगर पालिकाओं के अंतर्गत आते हैं अर्थात् शहरीकृत क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने वाले क्षेत्र, उन्हें अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। यह अधिनियम की धारा 1 के पठन से भी स्पष्ट हो जाता है, जिसमें पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 या छावनी अधिनियम, 1924 के तहत किसी भी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अधिनियम के लागू होने पर अधिनियम के संचालन को बाहर रखा गया है। वे क्षेत्र जो ग्रामीण नहीं थे और शहरीकृत क्षेत्र में आते थे। अधिनियम की धारा 1, 3(5), 3(13) और 3(15) के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि विधि का उद्देश्य यह था कि किसी क्षेत्र के आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाए जो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद अधिनियम में दिल्ली शहर और नई दिल्ली शहर के अंतर्गत आने वाली ऐसी भूमियों की ऐसी कार्रवाई पर दिल्ली शहर और नई दिल्ली शहर में आने वाली भूमि "भूमि" का विषय नहीं रह जाती है, जो कि इस अधिनियम की विषय वस्तु थी। उक्त भूमि अधिनियम की धारा 3(13) में भूमि की परिभाषा के अर्थ के अंतर्गत भूमि है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि नगर पालिका शब्द को उसके सजातीय और सगोत्र भावों के साथ शहरी क्षेत्रों के रूप में समझा जाना चाहिए क्योंकि नगर पालिका एक शहरी क्षेत्र के लिए है और इसे शहरी

क्षेत्र के लिए उत्पत्ति शब्द के रूप में लिया जाना चाहिए। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उद्देश्य इस प्रकार यदि आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा कोई क्षेत्र ग्रामीण भूमि नहीं रह जाता है क्योंकि इसे शहरी विकास हेतु शहरीकृत किया गया है, तो ऐसी भूमि अब अधिनियम की धारा 3(13) के तहत आने वाली ग्रामीण भूमि नहीं है।

22(i). *विवाद यह है कि क्या आधिकारिक राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें विषयगत भूमि को दिल्ली शहर और नई दिल्ली शहर के भीतर आने की घोषणा की गई है? प्रत्यर्थीगण की ओर से यह कहा गया कि भूमि जो अधिनियम का विषय है, उसका शहरीकरण तभी किया जा सकता है जब दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 के तहत अधिसूचना जारी की गई हो और जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। उक्त गांव और विचाराधीन भूमि का संबंध है और इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि जब भूमि का शहरीकरण नहीं किया जाता है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो विचाराधीन भूमि उस भूमि के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु बनी रहती है। अधिनियम की धारा 3(13) और इसलिए अधिनियम द्वारा शासित भूमि और दिनांक 25.9.2006 को विक्रय का करार अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान से प्रभावित हैं।*

22(ii) *प्रतिवादीगण की ओर से दिए गए तर्क के जवाब में वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम की धारा 3(13) के बाद के भाग में जिस अधिसूचना*

की बात की गई है, वह आवश्यक रूप से अधिसूचना ही हो, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1951 की धारा 507, यहाँ तक कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में भी एक क्षेत्र को दिल्ली विकास के मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना का विषय घोषित किया गया है, प्राधिकरण का प्रभाव यह है कि ऐसी भूमि जिसके संबंध में एक मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना या एक क्षेत्र प्लान तैयार किया गया है (और जो उसके बाद डीडीए को ऐसे क्षेत्र को मास्टर या ज़ोनल के अनुसार विकसित करने हेतु विकास क्षेत्र के रूप में मानने का अधिकार देगा) योजना आदि से पता चलता है कि ऐसी अधिसूचना से भूमि अब अधिनियम की विषय वस्तु नहीं रहेगी क्योंकि ऐसी भूमि शहरीकरण का हिस्सा है। इस संबंध में गुर प्रताप सिंह बनाम भारत संघ 2004 (111) डीएलटी 25 के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के पैरा 19 और 24 पर भी भरोसा किया गया है और इन पैराग्राफों द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब कोई विशेष क्षेत्र मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना को अधिसूचित करके दिल्ली विकास अधिनियम के तहत अधिसूचना का विषय बन जाता है तो ऐसी भूमि शहरीकृत हो जाती है और इसलिए अधिनियम और धारा 3(13) के आवेदन के दायरे से बाहर हो जाती है। अधिनियम का ये पैरा 19 और 24 इस प्रकार हैं : -

"19. इस मामले के दूसरे पहलू पर भी विचार किया जा सकता है। <u>मास्टर प्लान में संशोधन करने वाली अधिसूचना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संबंधित भूमि का उपयोग मोटल के</u>

उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। एक बार जब यह विकल्प उपलब्ध हो जाता है और भूमि के स्वामी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, तो भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार, एक बार जब भूमि को मालिक द्वारा मोटल के लिए उपयोग करने हेतु चुना जाता है, जिसके लिए मास्टर प्लान में संशोधन के तहत अनुमति दी गई है, तो भूमि सुधार की धारा 3(13) के अर्थ के तहत यह कृषि भूमि नहीं रह जाती है। इस कारण भी अनुमति प्राप्त करने की स्थिति पैदा नहीं होगी। भूमि सुधार अधिनियम भूमि के कृषि उपयोग की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम है। जब यह भूमि स्वयं कृषि योग्य नहीं रह गई, तो वास्तव में, भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है, यह इस तथ्य के कारण है कि 1995 की अधिसूचना के अनुसरण में मोटल के गैर-कृषि उपयोग की अनुमति है।

XXXX XXXX

24. डीडीए अधिनियम की धारा 53(3) यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के तहत विकास की अनुमति प्राप्त कर ली गई है, तो उसे इस तथ्य के कारण गैरकानूनी नहीं माना जाएगा कि ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी किसी के तहत आवश्यक है। अन्य कानून जिसके लिए अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार, डीडीए के आदेश और एमसीडी द्वारा स्वीकार किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश का व्यापक प्रभाव होगा, भले ही भूमि सुधार अधिनियम लागू हो।' (रेखांकित किया गया)

23. *मैं उस तर्क से सहमत हूं जिसने वादी की ओर से आग्रह किया गया है कि शहरीकरण के लिए अधिसूचना केवल दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना के माध्यम से नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 3(13) के बाद के अंश में ऐसा नहीं है किसी भी तरह से यह आवश्यक है कि अधिसूचना का केवल एक ही तरीका हो अर्थात केवल दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिनियम की धारा 3(13) का यह बाद वाला भाग केवल दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना की बात नहीं करता है। अधिनियम की धारा 3(13) के बाद का अंश की आवश्यकता केवल यह है कि भूमि को दिल्ली शहर और नई दिल्ली शहर का हिस्सा बनाने के लिए आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाए। मास्टर प्लान के अनुसार जारी किए गए क्षेत्रीय योजना को लागू करने हेतु एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें दिखाया गया है कि विषयगत भूमि डीडीए द्वारा जारी क्षेत्रीय योजना के तहत कवर की गई है, ऐसी स्थिति में, यह माना जाना चाहिए कि भूमि इसके अंतर्गत आने वाली भूमि नहीं रह जाती है। आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी होने के कारण इस अधिनियम के परिणामस्वरूप भूमि दिल्ली शहर का हिस्सा बन गई। इस पहलू पर अतिरिक्त तर्क को अधिनियम की धारा 1 और धारा 3(5) और 3(15) में पाए गए उद्देश्य एवं कथन से समझा जा सकता है और कौन सी धाराएं दर्शाती हैं कि एक क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र के भीतर आ जाता है और एक क्षेत्र समाप्त हो जाता है एक कृषि भूमि हो क्योंकि इसे दिल्ली शहर या नई दिल्ली शहर के विकास के हिस्से के रूप*

में विकसित किया जाना है, तो ऐसा क्षेत्र अब धारा 3(13) में परिभाषित स्थानीय भूमि के अंतर्गत आने हेतु कृषि क्षेत्र नहीं रह जाता है। विनम्रता के साथ, मैं गुरु प्रताप सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हूं और जो उसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक बार जब भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, तो भूमि अधिनियम की विषय नहीं रहती है।

24. *मैं ध्यान देता हूं कि वादी ने क्षेत्रीय योजना प्र.अभि.सा. 5/1 और अधिसूचना पत्र दिनांक 4.6.2010 को प्र.अभि.सा. 5/2 के रूप में साबित कर दिया है और इन दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पूरा गांव गोयला खुर्द और जिसमें वाद भूमि स्थित है दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत जारी क्षेत्रीय योजना का विषय है। उपरोक्त चर्चा के अनुसार, साथ ही गुर प्रताप सिंह (पूर्वोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार भूमि दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी जोनल योजना का विषय है, तो भूमि इसके दायरे से बाहर है। इसलिए यह भी अप्रासंगिक है कि गवाह अभि.सा.-5 ने इस संबंध में क्या बयान दिया है क्योंकि प्रत्यर्थी की ओर से जो तर्क दिए गए हैं अभि.सा.-5 ने दिनांक 1.2.2013 को प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह ज्ञात नहीं है कि गाँव गोएला खुर्द के खसरा सं. "बिंदीदार या स्थानीय क्षेत्र" में आते हैं या नहीं क्योंकि अभि.सा. 5/1 और अभि.सा. 5/2 से पता चलता है कि गाँव गोएला खुर्द का पूरा क्षेत्र क्षेत्रीय योजना की एक विषय वस्तु है| जब तक गांव गोयला खुर्द क्षेत्रीय योजना अभि.सा.1 का विषय है तब तक यह गांव गोयला खुर्द के पूरे क्षेत्र को शहरीकृत भूमि बनाने के*

लिए पर्याप्त है इसलिए विषयगत भूमि स्थित है और एक क्षेत्र बन गया है जिसे अधिसूचित किया गया है शहरीकरण के परिणामस्वरूप उन चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर ले जाना जो अधिनियम की विषय वस्तु हैं। साथ ही, मेरी राय में, एक बार जब कोई विशेष क्षेत्र दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11 के तहत डीडीए द्वारा जारी क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आता है तो उसके बाद उसे किसी भी विवरण से बुलाने पर चाहे वह ग्रामीण हो या अन्यथा, उक्त भूमि के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र के विकास के लिए जारी की गई अधिसूचना का एक हिस्सा है जो क्षेत्रीय योजना का विषय है और इसलिए ऐसी भूमि को अधिनियम के संचालन से बाहर मानते हुए अधिनियम की धारा 3(13) के बाद के भाग में आने वाली अधिसूचना जारी करने का विषय है।"

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जब भूमि डी.डी. अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी क्षेत्रीय योजना का विषय बन जाती है तो यह डीएलआर अधिनियम के दायरे से बाहर है। दिनांक 18.06.2013 की अधिसूचना के बाद, गाँव राजोकरी एक शहरी गाँव बन गया, और इसलिए, डीएलआर अधिनियम विचाराधीन भूमि पर लागू होना बंद हो गया।

16. इस प्रकार, स्थिति स्पष्ट है कि गाँव राजोकरी भूमि को एलडीआरए घोषित करने वाली अधिसूचना दिनांक 18.06.2013 से शहरी भूमि का हिस्सा बन गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 18.06.2013 का प्रभाव यह है कि

डीएलआर अधिनियम गाँव राजोकरी में स्थित भूमि पर लागू नहीं होता है जहाँ इस रिट याचिका की भूमि विषय वस्तु स्थित है।

17. दोनों पक्षकारों ने अपनी दलीलों के समर्थन में *सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)* के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने हेतु उक्त निर्णय पर भरोसा किया है कि उसका मामला "मामला 2" में आता है जैसा कि उक्त निर्णय में वर्णित है। उस आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि डीएलआर अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्यवाही एक प्रारंभिक चरण में थी और कोई सशर्त/अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था बल्कि एसडीएम ने दिनांक 26.05.2010 के आदेश द्वारा कार्यवाही को निरस्त दिया था इसलिए क्षेत्र को एलडीआरए के रूप में घोषित करने के बाद विद्वान एडीएम के समक्ष अपील जारी नहीं रह सकती है।

18. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने दलील दी है कि वर्तमान मामला *सांविक इंजीनियर* के निर्णय के "मामले 4" में आता है क्योंकि वर्तमान मामले में विचाराधीन अपील गाँव सभा द्वारा दिनांक 13.10.2010 को दायर की गई थी और यह उस समय लंबित थी जब इस क्षेत्र को एलडीआरए घोषित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 18.06.2013 जारी की गई थी।

19. जहाँ तक *सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)* के मामले में निर्णय का संबंध है, उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विभिन्न स्थितियों को निम्नलिखित विस्तृत विषयों के तहत वर्गीकृत किया है:-

> *"**मामला सं. 1.** जहां कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और डीएमसी/डीडीए अधिनियमों के तहत अधिसूचनाएं हस्तक्षेप करती हैं।*
>
> ***मामला सं. 2.** जहाँ यद्यपि कार्यवाही शुरू की गई है या एक सशर्त आदेश दिया गया है, वहाँ निष्कासन और निहित करने का निर्देश देने वाले अंतिम आदेश को पारित करने से पहले अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं।*
>
> ***मामला सं. 3.** जहां अधिसूचनाएं निष्कासन और निहित करने के अंतिम आदेश के बाद जारी की जाती हैं।*
>
> ***मामला सं. 4.** जहाँ भूस्वामी या गाँव सभा के कहने पर अंतिम आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान अधिसूचना जारी की जाती है।"*

20. उपरोक्त "मामला 2" के संबंध में, उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कार्यवाही केवल शुरूआती चरण तक पहुंची है या एक सशर्त आदेश पारित किया गया है, उन कार्यवाही को जारी रखने का कोई वैध या उपयोगी उद्देश्य नहीं रहेगा। "मामला 4" के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल यह तथ्य कि शहरीकरण के लिए एक अधिसूचना अंतिम आदेश पारित होने और अपील दायर करने के बीच जारी की गई है या जहां अपील एक अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लंबित है ऐसी अपील को

समाप्त नहीं किया जा सकता है और किसी भूस्वामी या ग्राम सभा के किसी अपील को शुरू करने या आगे बढ़ाने का अधिकार जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लंबित हो सकता है उसे जब्त या वर्जित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, *सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)* के उक्त निर्णय के अनुसार ऐसे मामलों में अपील जारी रहेगी और खारिज नहीं की जाएगी, भले ही इस बीच, विचाराधीन क्षेत्र शहरीकृत हो गया हो।

21. *सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)* के उपरोक्त निर्णय का इस न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में पालन किया है। इस प्रकार, यदि यह न्यायालय *सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)* के मामले में उपरोक्त निर्णय का पालन करता है, तो विद्वान एडीएम के समक्ष वर्तमान मामले में लंबित अपील को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, भले ही बाद में, विचाराधीन क्षेत्र को एलडीआरए घोषित कर दिया गया हो।

22. हालांकि, ***वि.प्र. के माध्यम से मोहिंदर सिंह (मृतक) व अन्य बनाम नारायण सिंह व अन्य*** के मामले में हाल के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब कोई क्षेत्र शहरीकृत हो जाता है तो डीएलआर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और उक्त अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही शून्य हो जाती है और अपना विधिक महत्व खो देती है। इस प्रकार, यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:-

*"**36.** अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने के बाद हमारा मानना है कि अधिनियम, 1957 की धारा 507(क) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम, 1954 के तहत लंबित कार्यवाही शून्य हो जाती है और अपना विधिक महत्व खो देती है।*

***37.** हम श्रीमती इंदु खुराना (पूर्वोक्त) में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त विचार का अनुमोदन करते हैं। जिसका बाद में दिनांक 22 नवंबर, 2012 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में पालन किया गया।"*

23. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डीएलआर अधिनियम के तहत सभी लंबित कार्यवाही शून्य हो जाती हैं और विचाराधीन भूमि के शहरीकरण के बाद जारी नहीं रह सकती हैं। हालाँकि, *मोहिंदर सिंह (पूर्वोक्त)* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान *सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)* के मामले के निर्णय की ओर नहीं लाया गया जहाँ मामलों का वर्गीकरण 4 विषयों के तहत किया गया है, हालाँकि, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के वर्गीकरण और एक स्पष्ट और निर्णयात्मक निर्देश दिया गया है कि किसी क्षेत्र के शहरीकरण के बाद डीएलआर अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही शून्य हो जाएंगी, यह न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन देश का कानून होने के नाते करने के लिए बाध्य है।

24. भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट शब्दों में इंगित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। इस प्रकार, ***बंदोबस्त निदेशक, आ.प्र. व अन्य बनाम एम.आर. अप्पाराव व अन्य*** के मामले में, इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है: -

> *"**7.** जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। उपरोक्त अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को कानून घोषित करने का अधिकार देता है। इसलिए, किसी कानून की व्याख्या करना न्यायालय का एक आवश्यक कार्य है। कानून के अलावा अन्य मामलों जैसे तथ्यों पर न्यायालय के बयानों में कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि दो मामलों के तथ्य समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अनुपात है न कि तथ्यों का कोई निष्कर्ष। किसी निर्णय को समग्र रूप से पढने पर, न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के आलोक में, यह सिद्धांत सामने आता है जो अनुपात बनाता है, न कि कोई विशेष शब्द या वाक्य। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी निर्णय में "घोषित कानून" है, इसे तब कानून नहीं कहा जा सकता जब किसी मुद्दे का निपटारा रियायत पर किया जाता है और जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अंतर्निहित सिद्धांत है। न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उस मामले में विचार के लिए उठे थे जिसमें निर्णय सुनाया गया था। विनिश्चय आधार से अलग एक "इतरोक्ति" मामले में सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर न्यायालय*

द्वारा की गई एक टिप्पणी है लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होती है कि निर्णय की आवश्यकता हो। इस तरह के एक इतरोक्ति के पास एक बाध्यकारी पूर्व-निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि यह अवलोकन सुनाए गए निर्णय के लिए अनावश्यक था, लेकिन भले ही एक इतरोक्ति के पास एक पूर्व-निर्णय के रूप में बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका बहुत महत्व है। इसलिए, जो विधि अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है, वह किसी दिए गए मामले में न्यायालय द्वारा उठाए और तय किए गए बिंदुओं की सभी टिप्पणियों तक बाध्यकारी होगा। जहां तक संवैधानिक मामलों का संबंध है, न्यायालय की यह पद्धति है कि वह उन मुद्दों पर कोई उद्घोषणा नहीं करता जो सीधे तौर पर उसके निर्णय के लिए नहीं उठाए जाते। ***सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया गया या संबंधित प्रावधानों को न्यायालय के विचार में नहीं लाया गया।*** *(देखें बल्लभदास मथुरादास लखानी बनाम नगरपालिका समिति, मलकापुर [(1970) 2) एससीसी 267: एआईआर 1970 एससी 1002] और एआईआर 1973 एससी 794 [(एसआईसी)])।* ***जब सर्वोच्च न्यायालय किसी सिद्धांत पर निर्णय लेता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करना उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य होगा।***

XXXXXX

उच्च न्यायालय का एक निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है या उच्च

न्यायालय के उस निर्णय को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया था, वह अमान्य है। (नरिंदर सिंह बनाम सुरजीत सिंह [(1984) 2 एससीसी 402] और कौशल्या देवी बोगरा बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी [(1984) 2 एससीसी 324] देखें।) हमें उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पहले प्रश्न का उत्तर देना होगा। हम श्री राव द्वारा अपनी दलीलों को विस्तार से उद्धृत करते हुए कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय के दिनांक 6-2-1986 के निर्णय [आ.प्र. राज्य बनाम वेंकटगिरी के राजा, (2002) 4 एससीसी 660] को सही नहीं ठहराया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के दायरे में न्यायालय द्वारा घोषित कानून बनें। श्री राव ने एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्रीकृष्ण सिन्हा [एआईआर 1959 एससी 395: 1959 पूरक (1) एससीआर 806] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। जिसमें राज्य विधानमंडल की शक्ति और विशेषाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार विषय-वस्तु था। उपरोक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि गुनुपति केशवराम रेड्डी बनाम नफीसुल हसन [(1952) 1 एससीसी 343: एआईआर 1954 एससी 536: 1954 आप. एलजे 1704] में निर्णय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पूरी तरह से भरोसा किया गया था। अधिवक्ता की रियायत पर की गई कार्यवाही के विषय पर सुविचारित राय नहीं मानी जा सकती है। विधि के उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है।"

<u>(जोर दिया गया)</u>

25. इसलिए, *मोहिंदर सिंह (पूर्वोक्त)* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित भूमि के विधि पर विचार करते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि विचाराधीन क्षेत्र के शहरीकरण के बाद डीएलआर अधिनियम के तहत विद्वान एडीएम के समक्ष लंबित कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि डीएलआर अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही विचाराधीन क्षेत्र के शहरीकरण के बाद अपना कानूनी महत्व खो देती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलआर अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभिक चरण में होने या जहां भूमि के शहरीकरण के समय डीएलआर के तहत अंतिम आदेश पहले ही पारित होने के संबंध में अलग नही किया है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, डीएलआर अधिनियम से निकलने वाली सभी कार्यवाही शहरीकरण के बाद अभिखंडित कर दी जाएगी क्योंकि डीएलआर अधिनियम लागू होना समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय मूल कार्यवाही या अपीलीय कार्यवाही के बीच कहीं भी अंतर नहीं करता है जो किसी क्षेत्र को शहरीकृत घोषित करने के समय राजस्व अधिकारियों के समक्ष डीएलआर अधिनियम के तहत लंबित हो सकती है।

26. हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान ***सांविक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)*** के मामले में दिए गए निर्णय की ओर नहीं लाया गया तथापि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय इस निष्कर्ष से संबंधित

है कि डीएलआर अधिनियम के तहत लंबित अपीलें क्षेत्र को शहरीकृत घोषित किए जाने के बावजूद जारी रखना खारिज माना जाएगा।

27. उपरोक्त विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुये वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। अपील सं. 70/2010 में लंबित कार्यवाही जिसका शीर्षक ***जीएस रजोकरी बनाम वि.प्र. के माध्यम से राजीव शाह (मृतक)*** है, को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 185 के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला नई दिल्ली, जाम नगर हाउस के न्यायालय के समक्ष खारिज कर दिया गया है।

28. तथापि, पक्षकार एसडीएम/आरए के आदेश को चुनौती देने के साथ अपने दावों/विवादों हेतु स्वतंत्र हैं जो कि विद्वान एडीएम, उचित फोरम/सिविल न्यायालय के समक्ष अपील की विषय वस्तु है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विधि में सभी वाद उचित फोरम के समक्ष पक्षकार हेतु उपलब्ध रहेंगी।

29. वर्तमान याचिका को लंबित आवेदन के साथ उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निपटान किया जाता है।

(मिनी पुष्कर्ण)
न्यायाधीश

अप्रैल 10,2023
सी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*